🔊 कटौती प्राप्तकर्ताओं (Deductees) ध्यान दें : TDS/TCS में समय पर सुधार क्यों ज़रूरी है

🔹 क्या बदला है?

• आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 397(3)(f) के तहत कटौतीकर्ता (नियोक्ता, कंपनियाँ, विक्रेता आदि) को TDS/TCS विवरणियों में त्रुटियाँ सुधारने की समय-सीमा घटाकर **2 वर्ष** कर दी गई है।

• यदि कटौतीकर्ता इस कम समय-सीमा के भीतर सुधार नहीं करता है, तो वे त्रुटियाँ **स्थायी रूप से बिना सुधार के रह सकती हैं**।

🔹 इसका आपके लिए क्या मतलब है

यदि आपका कटौतीकर्ता समय पर संशोधन विवरणी दाखिल नहीं करता है:

❌ **Form 26AS / AIS में टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा**

आपके वेतन, पेशेवर शुल्क या विक्रेता भुगतान से कटा हुआ कर आपके आयकर रिकॉर्ड में सही ढंग से प्रदर्शित नहीं हो सकता।

❌ **आयकर रिटर्न (ITR) में असंगति (Mismatch)**

रिटर्न दाखिल करते समय आपको अधिक कर देयता दिखाई दे सकती है क्योंकि कटा हुआ कर आपके खाते में क्रेडिट नहीं होगा।

❌ **रिफंड में देरी या रिफंड का नुकसान**

यदि TDS डेटा गायब या गलत है, तो रिफंड में देरी हो सकती है, राशि कम हो सकती है या रिफंड अस्वीकृत भी हो सकता है।

❌ **अनावश्यक नोटिस या जाँच (Scrutiny)**

जबकि आपसे कर काट लिया गया है, फिर भी आपको स्पष्टीकरण या भुगतान के लिए आयकर नोटिस मिल सकता है।

❌ **तनाव और वित्तीय असुविधा**

आपको अपने नियोक्ता/विक्रेता के पीछे लगातार लगना पड़ सकता है और विवाद सुलझाने में समय लग सकता है।

🔹 अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें

✅ अपने **Form 26AS और AIS** को नियमित रूप से जाँचें कि सभी TDS/TCS सही तरह से दर्शाया गया है।

✅ किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत अपने कटौतीकर्ता को सूचित करें।

✅ TDS कटौती का प्रमाण सुरक्षित रखें (वेतन पर्ची, बिल, चालान आदि)।

✅ समस्या हल न होने पर **TRACES / आयकर पोर्टल** के माध्यम से शीघ्र शिकायत दर्ज करें।

➢ आपका टैक्स क्रेडिट आपके कटौतीकर्ता के समय पर अनुपालन पर निर्भर करता है।

➢ कटौतीकर्ता द्वारा की गई देरी सीधे आपके रिफंड, कर देयता और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है।

➢ सतर्क रहें: अपने कर विवरणों की निगरानी करें और समस्याएँ तुरंत उठाएँ।